बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आ0 सं0–निग / सारा–4(पथ)आरोप–40 / 20217(अंश) पटना, दिनांक :– 24/6/2026

कार्यालय आदेश – 167

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आदेशानुसार विभागीय पत्रांक–5033, दिनांक–08.06.2017 के आलोक में दिनांक–15.06.2017 से 22.06.2017 के बीच पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत OPRMC के तहत संधारित विभिन्न पथों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से किया गया, जिसके आधार पर OPRMC योजना के तहत पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत पैकेज–14, 15 के अन्तर्गत शामिल पथों के संबंध में निरीक्षण दल द्वारा समर्पित आकड़ों के समीक्षोपरांत निम्न त्रुटियाँ / अनियमितता पाई गई :–

(i) "अशोक पेपर मील रोड, डी0बी0एस0आर0 रोड, एस0एच0–50 (पी0बी0एम0) रोड, एस0एच0–50, एस0एच0–50 (भी0आई0पी0) रोड, एस0एच0–56 रोड, बस स्टैण्ड–सिंह दरवाजा रोड, एल0 टावर–रेलवे गुमटी रोड, एल0एन0 मिश्रा रोड, विद्यापति चौक–आई0टी0 चौक रोड, सी0एम0 आर्ट कॉलेज–दोनार रेलवे गुमटी रोड, मिर्जापुर चौक–महावीर मंदिर रोड, जी0एन0 गंज–स्वीट होम रोड, सुभाष चौक–खनका चौक रोड, बेनीपुर–बिसनपुर रोड, दरभंगा–समस्तीपुर रोड, बिसनपुर–अतरबेल रोड, जटमालपुर–हायाघाट रोड, कमतौल–भरवारा रोड, शिवधारा–मोहम्मदपुर रोड, अरैला–कनोजर घाट रोड, जाले–जोगियारा–मकिया रोड, जाले–औराई रोड, अतरबेल से एन0एच0–57 भया सिमरी गाँव रोड का रख–रखाव / संधारण की स्थिति खराब पायी गयी है"।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के संबंध में **श्री सुनील कुमार**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा से पत्रांक–8677 (एस) अनु० दिनांक–09.10.2017 के द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–30.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसको विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. तदोपरांत **श्री सुनील कुमार**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रतिः कनीय अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के विरूद्ध उक्त त्रुटियों के लिए आरोप पत्र गठित कर पत्रांक–7137 (ई०) अनु० दिनांक–16.10.2025 द्वारा स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–15.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तर्कों / तथ्यों को रखा गया :–

(i) OPRMC योजना के तहत पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत पैकेज संख्या–15 में शामिल शिवधरा मोहम्मदपुर पथ (8.90 कि०मी०), जो इनके पर्यवेक्षण में था।

कृ०पृ०उ०

(ii) कार्यापालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय आदेश संख्या–11 सह पठित ज्ञापांक–1173 दिनांक–06.07.2022 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पायी गयी वर्णित त्रुटियों के अनुसार OM मद में माह जून 2017 में सिर्फ कुछ पथों में कटौती की गयी है, जबकि शेष पथों में कटौती नहीं की गयी है। Outstanding Non Compliance के आधार पर कटौती हेतु राशि की गणना की गयी। जो कि पैकेज संख्या–14 के लिए 285660.00 (दो लाख पचासी हजार छः सौ साठ) रूपये तथा पैकेज संख्या–15 के लिए 12134.00 (बारह हजार एक सौ चौंतीस) रूपये निर्धारित की गयी। पैकेज सं0–15 के लिए निर्धारित राशि की कटौती वर्त्तमान में उस संवेदक का इस प्रमंडल में क्रियाशील पैकेज सं9–08A के विपत्र से करने का आदेश निर्गत हुआ।

(iii) Package No-15/Darbhanga के संवेदक का क्रियाशील OPRMC 2 पैकेज नं०–8A के कार्य विपत्र संख्या–26, मापी पुस्त सं०–3644, पेज नं०–60 पर रू० 12,134.00 (बारह हजार एक सौ चौतीस रूपये) की वसूली संवेदक से कर ली गई है, जिससे वित्तीय क्षति नहीं हुई है।

(iv) OPRMC योजना अंतर्गत संधारित कुल 8039 कि०मी० पथों का भौतिक सत्यापन विभागीय तकनीकी दल (SID) द्वारा जून 2017 में कि गई थी जिसमें प्रमंडलों को Gross Weighted Non-Compliance के आधार पर Non Performing प्रमंडलों की सूची Total Weighted Sum के आधार पर तीन श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया था। जो Critical, Alarming एवं Bad की श्रेणी में था। पथ प्रमंडल, दरभंगा का Package No–14 का Total Weighted Sum–88 दिया गया था जो Bad की श्रेणी में आता है। पूरे प्रकरण में Critical एवं Alarming श्रेणियों के प्रमंडलों से संबधति अभियंताओं के स्पष्टीकरण उत्तर को भविष्य में सजग रहने के निदेश के साथ स्वीकार किया गया है, जबकि पथ प्रमंडल, दरभंगा का मामला Bad की श्रेणी में है।

4. श्री कुमार द्वारा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि Non-Compliance मद में कटौती की गयी है, अर्थात मामले में आर्थिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन की गयी कटौती निर्धारित समय में न करके बाद में की गयी है। अतः श्री कुमार का स्पष्टीकरण उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में **श्री सुनील कुमार**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रतिः कनीय अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा दिनांक–15.12.2025 को समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V शास्तियों और अनुशासनिक प्राधिकार के नियम–14 के स्पष्टीकरण–3 के आलोक में निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) "चेतावनी की सजा (जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में की जायेगी)''।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–4(पथ) आरोप–40/2017 (अंश) पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/हाजीपुर/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु0/लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा–30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री सुनील कुमार**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रतिः कनीय अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
4339(S) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–4(पथ) आरोप–40/2017 (अंश) पटना, दिनांक 24/6/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

24.6.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।